




उत्तराव : वापुलाल वनाम जमनालाल
पुसं : 87/2023
धारा : 212 RTA

बास्ते जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 20/08/2024 को
पेश है। 
S.P.O


20/08
2024

पत्रावली पेश हुई अधिष्ठापक संघ द्वारा
प्रशासनिक कार्य स्थगित कराने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
29/08/24 को पेश की जावे। 
S.P.O


29/08
2024

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब राजकार्य
से स्थगित होने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
08/09/24 को पेश की जावे। 
S.P.O

18/09
2024

पत्रावली पेश हुई। कमील उम्रय पक्ष उपस्थित। कमील
अपार्थी ने जवाब प्रस्तुत करने का अवसर माहौल
दिया जाता है पत्रावली बास्ते जवाब अप्रार्थीगण दिनांक
25/09/2024 को पेश है। 
S.P.O

25/09
2024

पत्रावली पेश हुई। कमील उम्रय पक्ष उपस्थित। प्रकरण
में मूल वाद अज्ञान दिनांक के अणपत्र (07/11) का
स्वीकार होने से वाद-पत्र विधि विहित होने से स्वारीज
है। अतः मूल वाद ही स्वारीज होने के अणपत्र धारा-212
द्वारा: ही स्वारीज योग्य होने के पता जाता है अतः
अणपत्र धारा-212 का स्वीकार योग्य नहीं होने के
द्वारा स्तर पर स्वारीज किया जाता है पत्रावली
केमल शुभार ले फर् रजिस्टर से अज्ञान की जाकर
शामिल दफतर है। 

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)